न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या
3/25

तारीख दायर
22.07.2024

तारीख निर्णय
23.12.2025

बउनवान

01. दानू पुत्र नूरा, जाति मेव निवासी ग्राम बालेटा तह० मालाखेड़ा जिला अलवर राज०।

प्रार्थी

बनाम

01. तहसीलदार अलवर जरिये लैण्ड होल्डर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी हाल सम्वत् 2071 से 2075 मुन्दर्जे खाता संख्या 246 नया मे दर्ज आराजी हाल खसरा संख्या 91 रकबा 1.22 हैक्टेयर डहरी 2 वाके ग्राम बालेटा तह० मालाखेड़ा जिला अलवर राज० मे स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार व बैहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 61 ऐयर हिस्से पर पर प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। जिसमें किसी भी सहखातेदारान का कोई उज्र ऐतराज किसी भी प्रकार का नही है। उक्त 61 ऐयर आराजी के बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बंदोबस्त सम्वत् 2051–70 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2051–70 की प्रमाणित प्रति व सम्वत् 2055–58 की जमाबन्दी प्रमाणित प्रतिलिपी, सम्वत् 2059–62 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्वत 2063–66 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्वत् 2067–70 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्वत् 2071–74 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त रिकॉर्ड से यह भलीभांति साबित व प्रमाणित है कि आराजी हाल खसरा संख्या 91 रकबा 1.22 हैक्टेयर डहरी 2 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा में प्रार्थी का 61 ऐयर हिस्सा है। जो कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा सम्वत् 2071–75 की जमाबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्वक प्रार्थी का हिस्सा 61 ऐयर के स्थान पर 1/6 कर दिया है। उक्त गलत रिकॉर्ड की जानकारी होने पर दुरूस्ती बाबत् प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी व तहसीलदार मालाखेड़ा से सम्पर्क किया गया तो उक्त दोनो अधिकारी व कर्मचारी द्वारा न्यायालय से आदेश लाने के बाबत् प्रार्थी से कहा गया। इस संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर दर्ज हाल आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 1.22 हैक्टेयर डहरी 2 वाके ग्राम बालेटा तह० मालाखेड़ा जिला अलवर राज० में दर्ज प्रार्थी के 1/6 हिस्से के स्थान पर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड प्रार्थी हिस्सा 66 ऐयर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में तहसीलदार मालाखेड़ा से प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओं के संबंध में जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पत्रांक ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प–बालेटा– भू.अ./2025/10 दिनांक 19.09.2025 द्वारा बाद जॉच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। तहसीलदार मालखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि :–

01. ग्राम बालेटा की जमाबन्दी सं0 2043–46 के खाता संख्या 240 के ख0 नं0 16 मि. रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा बैडा, चांदी, मुनीरखॉ पि. शिमरु हिस्सा 1/2 सरदारा, समीरखॉ, दीना, मोरमल, जोरमल पि. भूपसिंह स.भा. हिस्सा 1/2 कौम मेव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

02. मिसल बन्दोबश्त संवत 2051–70 के खाता सं0 178 के अनुसार हाल ख0 नं0 91 रकबा 1.22 हैक्टेयर साबिक खसरा संख्या 16 मि. रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा दानू वल्द नूरा कौम मेव हि. 61 एयर, जयमल, बत्तू, सम्पत, रहमत, पि. बैड़ा स.भा. हिस्सा 1/6 दर्ज है। चाँदी पि. समरु का हिस्सा (जमाबन्दी सं. 2043–46 के अनुसार हिस्सा 1/6 आना चाहिए था) का उल्लेख नहीं किया हुआ है।
सरदार, दीना, मोरमल, जोरमल पि. भूपसिंह स.भा. 4/10 हुसैनखाँ, हारून पि. समीखां, मु. सलेमी बेवा समीखां स.भा. हिस्सा 1/10 मुनीरखॉ पिता शिमरु हिस्सा 1/6 कौम मेव हिस्सा 0.61 एयर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात की जमाबन्दी सं. 2054–57 की प्रविष्टियां मिसल बन्दोबश्त 2051–70 के अनुसार ही थी । उसके बाद की जमाबन्दी सं. 2059–62 में हिस्से का इन्द्राज का गलत अंकन कर दिया गया था। इसके पश्चात बनने वाली जमाबन्दियों में संवत 2059–62 में हिस्सों का इन्द्राज चला आ रहा था। उक्त जमाबन्दी के अनुसार ही हाल जमाबन्दी में हिस्सों का इन्द्राज कर दिया गया।

03. जमाबन्दी सं. 2043–46 व मिसल बन्दोबश्त संवत 2051–70 के अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टियां निम्न प्रकार है :–

हाल जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार हिस्सा	प्रस्तावित हिस्सा
01. करीमा पुत्र चांदी	हि. 1/75	हि. 1/72
02. जुम्मा पुत्र चांदी	हि. 1/75	हि. 1/72
03. बंशी पुत्र चांदी	हि. 1/75	हि. 1/72
04. मुन्शी पुत्र चांदी	हि. 1/75	हि. 1/72
05. लड्डो पत्नि चांदी	हि. 1/75	हि. 1/72
06. सूका पुत्र चांदी	हि. 1/75	हि 1/72
07. जयमल पुत्र चांदी	हि. 1/24	हि. 1/72
08. बत्तू पुत्र बैडा	हि. 1/24	हि. 1/48
09. रहमत पुत्र बैडा	हि. 1/24 रहन	हि. 1/48
10. सम्पत पुत्र बैडा	हि. 1/24	हि. 1/48 रहन बदस्तूर
11. मुनीरखां पुत्र सिमरु	हि. 1/6	हि. 1/48
12. जोरमल पुत्र भूपसिंह	हि. 2/25 रहन	हि. 1/20 रहन बदस्तूर
13. दीना पुत्र भूपसिंह	हि. 2/25 रहन	हि. 1/20
14. मोरमल पुत्र भूपसिंह	हि. 2/25	हि. 1/20
15. सरदार पुत्र भूपसिंह	हि. 2/25	हि. 1/20
16. सलेमी पत्नि सम्मीखॉ	हि. 1/30	हि. 1/60

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

17. हुसैनखाँ पुत्र सम्मीखाँ	हि. 1/30	हि. 1/60
18. हारुन पुत्र सम्मीखाँ	हि. 1/30	हि. 1/60
19. दानू पुत्र नूरा	हि. 1/6	हि. 1/2

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट पर मनन किया। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे जमाबन्दी सं. 2054–57 की प्रविष्टियां मिसल बन्दोबश्त 2051–70 के अनुसार होना व उसके बाद की जमाबन्दी सं. 2059–62 में हिस्से का इन्द्राज का गलत अंकन हो जाना अंकित किया है। इसके पश्चात बनने वाली जमाबन्दियों में संवत 2059–62 में हिस्सों का इन्द्राज चला आ रहा था। उक्त जमाबन्दी के अनुसार ही हाल जमाबन्दी में हिस्सों का इन्द्राज कर दिया गया। जिसे तहसीलदार मालाखेडा ने गलत अंकन बताते हुऐ जमाबन्दी संवत् 2043–46 व मिसल बन्दोबश्त संवत 2051–70 के अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टियां के अनुसार दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

अतः तहसीलदार मालखेडा की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प–बालेटा– भू.अ./2025/10 दिनांक 19.09.2025 के अनुसरण मे जमाबन्दी संवत् 2043–46 व मिसल बन्दोबश्त संवत 2051–70 के अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टियां अनुरूप दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्णय एवं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)